



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3364/1993

याचिकाकर्ता :

श्रीमती अलेकुट्टी कुरियाकोस

बनाम

उत्तरवादीगण :

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल & अन्य

और

रिट याचिका क्रमांक 1401/1994

याचिकाकर्ता :

श्रीमती जे. सत्यालक्ष्मी

बनाम

उत्तरवादीगण:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल & अन्य

निर्णय एवं आदेश के घोषित किये जाने दिनांक 14 जनवरी, 2010 को सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षरित /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3364/1993

याचिकाकर्ता :

श्रीमती अलेकुट्टी कुरियाकोस

बनाम

उत्तरवादीगण :

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल & अन्य

और

रिट याचिका क्रमांक 1401/1994

याचिकाकर्ता :

श्रीमती जे. सत्यालक्ष्मी

बनाम

उत्तरवादीगण:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल & अन्य



(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

अधिवक्ता

उपस्थित: -

1. श्री वी.जी. तमास्कर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता.

2. श्री पी.आर. पाटनकर तथा श्री आदिल मिन्हाज

उत्तरवादीगण क्रमांक 1 की ओर से, अधिवक्ता।

3. श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती मीरा

जायसवाल, अधिवक्ता के साथ। उत्तरवादीगण क्रमांक 2

की ओर से, अधिवक्ता।



4. श्री ए.एस. गहरवार, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री एस.एम. अली, अधिवक्ता उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से,

5. श्री राकेश एंथनी, उत्तरवादीगण क्रमांक 4 की ओर से, अधिवक्ता।

निर्णय एवं आदेश

(दिनांक 14/01/2010 को सुनाया गया)

1. चूंकि याचिका क्रमांक 3364/1993 तथा 1401/1994 में न केवल समान विधिक प्रश्न उपस्थित हैं, अपितु तथ्यों की भी समानता है, इसलिए दोनों याचिकाओं को एकसाथ विचार किया गया है। अतः इन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।
2. इन याचिकाओं में दिनांक 06.05.1992 को पारित आदेश (रिट याचिका क्रमांक 3364/1993 में अनुलग्नक पी/5) एवं दिनांक 06.05.1992 को पारित आदेश (रिट याचिका क्रमांक 1401/1994 में अनुलग्नक-पी/2) को दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
3. "याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्यों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि श्रीमती जे. सत्यलक्ष्मी (याचिकाकर्ता, याचिका क्रमांक 1401/1994) को उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय में सहायक शिक्षिका के पद पर दिनांक 30.09.1985 के आदेश (अनुलग्नक-पी/1, याचिका क्रमांक 1401/1994 में संलग्न) के माध्यम से नियमित शिक्षिका के रूप से नियुक्त किया गया। अन्य याचिकाकर्ता श्रीमती अलेयकुट्टी कुरियाकोस (याचिका क्रमांक 3364/1993 में) को उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय में दिनांक 15.11.1971 के आदेश (अनुलग्नक -पी/1, याचिका क्रमांक 3364/1993 में संलग्न) के द्वारा अस्थायी



शिक्षिका के रूप से नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात्, दिनांक 03.02.1973 के आदेश (रिट याचिका क्रमांक 3364/1993 अनुलग्नक-पी/2) द्वारा उनकी सेवा को सहायक शिक्षिका के रूप में नियमित किया गया। इसके उपरांत, दिनांक 14.08.1978 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को वरिष्ठ सहायक शिक्षिका के पद पर पदोन्नत किया गया। हालांकि, आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.1992 (दोनों याचिकाओं में) द्वारा याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया। अतः याचिकाएं इस आदेश को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत की गई हैं।"

4. श्री वी.जी. तमास्कर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित, अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय परिपत्र क्रमांक एफ-4/226/85-ए1/20 दिनांक 05.11.1985 (अनुलग्नक-पी/5, याचिका क्रमांक 1401/1994) के अनुसार, शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है। उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है, जो कि एक सार्वजनिक दायित्व है, अतः उसे उक्त परिपत्र के अनुसार कार्य करते हुए शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों की सेवा को नियमित करना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4 (विधालय) को शासन द्वारा 2 एकड़ भूमि पट्टे पर प्रदान की गई है तथा ₹1,50,000/- की राशि उसकी रख-रखाव हेतु अनुदान के रूप में दी गई है। अतः उत्तरवादी विधालय स्वयं को एक " गैर अनुदान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था" नहीं कह सकता।
5. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित 'संबद्धता उपविधिया' (संक्षेप में 'उपविधिया') का खंड 30, जो दिनांक 28 जनवरी, 1988 से प्रभावी हुआ, यह उपबंध करता है कि किसी भी संबद्ध संस्था का प्रत्येक कर्मचारी, सेवा से उस समय से सेवानिवृत्त होगा जब वह संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुदान प्राप्त अथवा गैर- अनुदान प्राप्त विधालयों के समान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता है।



6. श्री राकेश एंथनी, अधिवक्ता, उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय की ओर से उपस्थित यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय कोई लोक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। उक्त विधालय को प्रारंभ में माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 1977 से यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली से संबद्ध हो गया। श्री एंथनी विशेष रूप से इस बात का खंडन करते हैं कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय अनुदान प्राप्त विधालय है। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि मध्यप्रदेश शासन का परिपत्र दिनांक 05.11.1985 उत्तरदायी विधालय पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु पृथक नियम बनाए गए हैं। सेवानिवृत्ति के आदेश दिनांक 06.05.1992, विधालय प्रबंधन द्वारा वर्ष 1992 में पारित प्रस्ताव के आधार पर निर्गत किए गए थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अधिवर्षता आयु 55 वर्ष निर्धारित की जाए, उसकी सूचना विधालय में प्रदर्शित की जाए तथा तदनुसार ग्रेच्युटी नियम में संशोधन किया जाए। उक्त प्रस्ताव के आलोक में, याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विधिवत सेवानिवृत्त किया गया। उत्तरवादीगण के अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय, उसके द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों का पूर्णतः पालन करता है।

7. श्री एंथनी आगे यह तर्क प्रस्तुत किया हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय एक निजी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, जो धर्माथ के आधार पर संचालित की जा रही है, तथा छात्रों से केवल नाममात्र शुल्क लिया जाता है। चूँकि उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है, अतः संचालन समिति द्वारा अधिवार्षिकी आयु 55 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति की शर्तों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा एक माह का पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह का वेतन देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है। उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय की अपनी सेवा नियमावली है, जिसमें सेवा शर्तों का पृथक रूप से विनियमन किया गया है। याचिकाकर्ताओं को जारी नियुक्ति आदेश के पैरा 6 एवं 10 में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:



“vi. आप समय-समय पर प्रबंधन द्वारा जारी सेवा नियमों एवं प्रशासनिक आदेशों के अधीन होंगे और प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना होगा।”

“x. ऐसे किसी भी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस पत्र में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, एम.जी.एम. सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना नियमावली एवं आचार संहिता अथवा प्रबंधन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के प्रावधान लागू होंगे, और प्रबंधन द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय अंतिम एवं कर्मचारियों पर बाध्यकारी होंगे।”

8. श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्रीमती मीरा जायसवाल, अधिवक्ता, के साथ उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित हैं, यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय वर्ष 1977 के पश्चात् केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध हुआ था और इस प्रकार, उत्तरवादीगण क्रमांक 2 का उक्त संस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। श्री अग्रवाल आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादीगण क्रमांक 2 को अनावश्यक रूप से इस याचिका में पक्षकार बनाया गया है, जबकि इसके विरुद्ध कोई अनुतोष की मांग नहीं की गई है।

9. श्री आदिल मिन्हाज एवं श्री पी.आर. पाटनकर, अधिवक्ता, जो उत्तरवादीगण क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित हैं, यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्ध होने के कारण, उक्त विधालय पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपविधियों का पालन करना अनिवार्य है।

10. मैंने पक्षकारों के द्वारा उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना, याचिका एवं उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।



11. "उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय ने न तो यह दावा किया है और न ही यह स्थापित किया है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के प्रावधानों के तहत संरक्षित है। उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय का यह दावा नहीं है कि वह एक अल्पसंख्यक संस्था है; अतः मैं संविधानिक संरक्षण के विषय में दलीलों, याचिका या आवश्यक साक्ष्यों के अभाव में विचार नहीं कर सकता। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध है। उपविधियों के अंतर्गत संबद्धता को खंड 1(1) में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है:"

- (i) 'संबद्धता' का अर्थ है कि किसी विधालय का मंडल की स्वीकृत विद्यालयों की सूची में औपचारिक रूप से नामांकन होना, जो कक्षा अष्टम तक निर्धारित/स्वीकृत अध्ययन पाठ्यक्रमों का पालन करता हो तथा ऐसे विधालय जो मंडल की परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार विद्यार्थियों को तैयार करते हैं।

12. उपविधियों के खंड 1(xxii) को पारिभाषित करता है को निम्न है,

'निजी गैर अनुदान प्राप्त विधालय का अर्थ है वह विधालय जो किसी समिति/निकाय द्वारा चलाया जाता हो, जो केंद्रीय या राज्य सरकार के संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत विधिवत गठित एवं पंजीकृत हो, तथा जिसे किसी प्रकार की नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त न हो।

13. यद्यपि यह तथ्य सही है कि उत्तरदायी क्रमांक 4/विधालय को राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन के संबंध में उपविधियों का खण्ड 30 लागू होगा। उपविधियों का खण्ड 30 इस प्रकार है:

30.सेवानिवृत्ति



- (i) "प्रत्येक कर्मचारी उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुदान प्राप्त/गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों के समान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अधिवर्षता आयु को प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होगा।
- (ii) प्रबंध समिति नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम न हो तथा उसकी सेवाएं संस्था के लिए लाभकारी हों, तो सेवा विस्तार प्रदान कर सकती है।
- (iii) ऐसी सेवा विस्तार की सूचना बोर्ड को एस.एम.सी. द्वारा दी जाएगी।

14. "उपरोक्त उपविधियों के प्रावधानों का संक्षिप्त अवलोकन मात्र या स्पष्ट करता है कि चाहे विधालय से अनुदान प्राप्त हो या गैर अनुदान प्राप्त हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों के कर्मचारियों को सेवा से उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त हो, विद्यालयों के समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना होगा। यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि संबंधित समयावधि में, दिनांक 05.11.1985 के परिपत्र के अनुसार, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जो अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू थी। अतः उपविधियों खण्ड 30 का स्पष्ट उल्लंघन या विचलन किया गया है है।

15. "सभी प्रावधानों को समेकित रूप से पढ़ने और इन्हें मामले के तथ्य पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 06.05.1992 के आक्षेपित आदेश (जो रिट याचिका सं. 3364/1993 में अनुलग्नक- P/5 तथा रिट याचिका सं. 1401/1994 में अनुलग्नक- P/2 के रूप में संलग्न हैं), जिनके द्वारा याचिकाकर्ताओं को 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया, उपविधियों के खण्ड 30 के विपरीत हैं, जो कि सभी संबद्ध विद्यालयों पर बाध्यकारी है।"



16. श्री एंथनी द्वारा म.प्र. विद्युत कर्मचारी संघ बनाम मध्य प्रदेश एलेट्रिकसिटी बोर्ड¹ के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना अनुचित है। वर्तमान मामले में, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि उपविधियों के खण्ड 30 के तहत निर्धारित है। उक्त उपविधियों के अभाव में नियोक्ता को अधिवर्षता की तिथि निर्धारित करने की स्वतंत्रता थी। उपविधियों का पालन न करना संबद्धता की रद्दीकरण का कारण बन सकता है। उत्तरवादीगण क्रमांक 4 ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई नियम या विनियम प्रस्तुत नहीं किए हैं, सिवाय शासी निकाय के उस प्रस्ताव के, जो स्वयंमेव है कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता।

17. "‘उपविधि’ की परिभाषा *एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन* (पी. रामानाथा एयर), तृतीय संस्करण, 2005, खंड 1, पृष्ठ 646 पर इस प्रकार दी गई है:"

‘उपविधि’ का शाब्दिक अर्थ है — ‘बाई’ या टाउनशिप के प्रशासन हेतु बनाया गया कानून अर्नोल्ड की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सातवाँ संस्करण, पृष्ठ 150)। आधुनिक काल में यह माना गया है कि उपविधियों का अर्थ ऐसे नियमों से है जो विधायिका से अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के विनियमन, प्रशासन अथवा प्रबंधन हेतु बनाए जाते हैं और वे उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं (लॉ रिलाटिंग तो मीटिंग बीबी शैकलेटन, पृष्ठ 410)। कर्स बनाम जॉनसन में रुस्सेल मुख्या. न्यायाधिश ने उपविधियों को इस रूप में परिभाषित किया है — ‘यह एक ऐसा अधिनियम है जो जनता या उसके किसी वर्ग को प्रभावित करता है, और जिसे किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किया गया हो जिसे वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह ऐसा आदेश होता है जो किसी कार्य को किए जाने या न किए जाने के लिए बाध्य करता है, और जिसके पालन न किए जाने पर किसी दंड या शास्ति का प्रावधान होता है।’ यह आवश्यक रूप से उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करता है जो इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं — ऐसे कार्यों के संबंध में जिन्हें वे, यदि

¹ (2004) 9 SCC 755



उपविधियों न होता, तो करने या न करने के लिए स्वतंत्र होते। साथ ही, यदि उपविधियों विधिसम्मत रूप से बनाया गया हो, तो अपने वैध क्षेत्र में यह कानून की शक्ति रखता है।”

18. उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं नियुक्ति की उन शर्तों के अधीन समाप्त की जा सकती थीं, जिनमें एक माह का पूर्व सूचना (नोटिस) अथवा उसके समतुल्य वेतन प्रदान कर सेवा से हटाए जाने का प्रावधान है — स्वीकार योग्य नहीं है। यह स्पष्ट रूप से नियुक्ति की शर्तों की धारा 6 में विनिर्दिष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति, उत्तरवादीगण क्रमांक 4 द्वारा निर्धारित सेवा नियमों तथा आचरण संबंधी नियमों के अधीन है। अतः याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति केवल नियुक्ति-पत्र की सामान्य शर्तों के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि यह सेवा नियमों के अनुरूप विधिसम्मत प्रक्रिया के अधीन ही की जा सकती है।

19. परिभाषा के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि उपविधियों की प्रकृति नियमों के समान हैं, जो उन पक्षों पर बाध्यकारी होती हैं जिनके लिए वे बनाए गए हैं। यह स्वीकृत है कि उत्तरवादी क्रमांक 4/विधालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध है। अतः उत्तरवादीगण क्रमांक 4/विधालय पर यह दायित्व है कि वह उपविधियों के समस्त प्रावधानों का पालन करे, जिसमें खण्ड 30 भी सम्मिलित है, जो सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करती है।

20. उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत दोनों रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। चूँकि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 06.05.1992 को 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था जबकि उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था, अतः याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक सेवानिवृत्ति की आयु (60 वर्ष) पूर्ण करने तक की अवधि हेतु पूर्ण वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

21. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।



हस्ताक्षरित :-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Vikas Ghritlahre

